मॉड्यूल 6: बच्चों की वैकल्पिक देखरेख

सत्र 2: किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान– परिभाषा, गठन एवं उद्देश्य

अवधि: 3:48 मिनट

बाल देखरेख संस्थनों के पंजीकरण की प्रक्रिया

पिछले सत्र में हमने बाल देखरेख संस्थानों के पंजीकरण की अनिवार्यता पर विस्तार से चर्चा की है। आईए अब पंजीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करें।

संस्थानों का पंजीकरण:

संस्थाओं का पंजीकरण (धारा 41, किशोर न्याय अधिनियम 2015: नियम 21, किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016) के अनुसार

- सभी संस्थान चाहे राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं या स्वैच्छिक संस्था या गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे हों, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के आवास के लिए हों, को इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के लागू होने के छः माह के भीतर पंजीकृत कराया जाएगा, चाहे वे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से अनुदान ले रहे हों या नहीं।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत जिन संस्थानों के पास इस अधिनियम के लागू होने की तिथि पर, मान्य पंजीकरण है उन्हें माना जाएगा कि इस अधिनियम के तहत वे पंजीकृत हैं।
- राज्य सरकार, बाल देखरेख संस्थानों द्वारा आवेदन पत्र देने के एक माह के अन्दर, अधिकतम छः माह के लिए अस्थायी पंजीकरण दे सकती है ताकि उन संस्थानों को इस अधिनियम की परिधि में लाया जा सके।
- अगर वह संस्थान निर्धारित समय सीमा में पंजीकरण के मापदण्डों को पूरा नहीं कर पाता तो अस्थायी पंजीकरण निरस्त हो जाएगा।
- अगर पंजीकरण के आवेदन पत्र पर किसी भी अधिकारी या किसी भी राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा छः माह के अन्दर फैसला नहीं किया जाता तो यह उनकी अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही मानी जाएगी।
- जिन संस्थाओं ने आवेदन किया है किन्तु अगर उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं तो राज्य सरकार ऐसी संस्थाओं को अस्थायी पंजीकरण भी नहीं देगी और आवेदन प्राप्त होने के एक माह पूरा होने से पहले ही राज्य सरकार एक आदेष पारित करेगी कि संस्था अस्थायी पंजीकरण पाने के लिए भी योग्य नहीं है।
- संस्थान के पंजीकरण की समयावधि पांच वर्ष है और प्रत्येक पांच वर्ष पर पंजीकरण का नवीनीकरण कराया जाएगा।
- पंजीकरण की समयावधि पूरा होने से तीन माह पहले ही पंजीकरण का नवीनीकरण कराने हेतु आवेदन देने के लिए सभी संस्थान बाध्य होंगे।
- जब किसी संस्थान का अधिनियम के तहत पंजीकरण समाप्त हो जाता है या सम्बन्धित प्रावधान में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत संस्थान आवेदन पत्र देने में असफल हो जाता है या जिसे अस्थायी पंजीकरण नहीं दिया गया है

- वह संस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रबन्धित की जाएगी या जो बच्चे वहां पर रखे गए हैं उन्हें बोर्ड या समिति के आदेष पर किसी अन्य संस्थान में स्थानान्तरित किया जाएगा।
- निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य सरकार ऐसे संस्थानों का जो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 53 में उल्लेखित पुनर्वास और पुनर्एकीकरण की सेवाएं नहीं दे पाते हैं, मामले के अनुसार उनका पंजीकरण निरस्त कर सकती है या रोक सकती है।
- कोई भी बाल देखरेख संस्थान जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत है वह समिति के निर्देष पर अपनी क्षमता के अनुसार बच्चों का प्रवेष लेने के लिए बाध्य होगा चाहे वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा हो या नहीं।
- यह सुनिष्चित किया जाना चाहिए कि अलग–अलग श्रेणी के बाल देखरेख संस्थान का पंजीकरण अलग–अलग किया जाना चाहिए, भले ही वे एक स्वैच्छिक संस्था या गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाए जा रहे हों।